106/17

A2/4

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छीम्पा, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 106/2017
अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

विनोदकुमार आयु 45 वर्ष आत्मज श्री रामस्वरूप, जाट, चक 18 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.....वादी

बनाम

1. रामस्वरूप आयु 71 वर्ष आत्मज श्री दुल्लाराम, जाट, चक 18 जी. जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
2. राधेश्याम आयु 50 वर्ष आत्मज श्री रामस्वरूप, जाट, चक 18 जी. जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
3. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर.

.......प्रतिवादीगण

उपस्थिति–	श्री दिनेश छाबड़ा	(वादी)
	श्री बलकरणसिंह	(प्रतिवादी–1)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–3)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर सत्यमेव जयते

दिनांक 24 जुलाई, 2018

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 19 जी.जी. तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/48 मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 11 से 25 की कुल 3.782 हैक्टर नहरी कृषि भूमि (जिसे आदेश के शेष भाग में प्रश्नगत कृषि भूमि से सम्बोधित किया जा रहा है) प्रतिवादी संख्या 1 को अपने दादा–पड़दादा से संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति प्राप्त हुई जिसमें वादी का जन्म से ही कि व हिस्सा है. वादी प्रश्नगत कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा है यह तथ्य निर्विवाद है कि प्रश्नगत कृषि भूमि हिन्दू खानदान की संयुक्त अविभाजित पैतृक सम्पत्ति है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त पैतृक सम्पत्ति में से अपनी आवयकताओं के लिये 1/3 हिस्सा में से मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 21 एवं किला नम्बर 22(0.01) बीघा कुल 0.266 हैक्टर का विक्रय दिनांक 27 अप्रेल, 2005 को प्रतिफल प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 2 की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णादेवी को कर दिया गया. तदोपरान्त, प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी का 1/3 हिस्सा है जिसे वादी द्वारा किसी अन्य को विक्रय नहीं किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 की धर्मपत्नी के नाम से बेचान अपने 1/3 हिस्सा मे से अपनी जायज जरूरतों के लिये किया गया है. उक्त विक्रय करने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 के पास 1/3 हिस्सा में से उक्त भूमि निकालने के उपरान्त हिस्सा शेष रहा. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य अर्सा दस बारह वर्ष पूर्व पारिवारिक मौखिक समझौता किया गया जिसके अनुसार वादी को उसके 1/3 हिस्सा के लिये मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 16 से 20 कृषि भूमि दी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

गयी. जिस पर काबिज होकर वादी द्वारा काश्त की जा रही है तथा शेष कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जा काश्त में है. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पूर्व में माननीय न्यायालय के समक्ष वादपत्र संख्या 510/2013 अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 एवं 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम शीर्षक राधेश्याम बनाम रामस्वरूप व अन्य प्रस्तुत किया गया था कि विचाराधीन वाद में प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें से श्रीमती कृष्णादेवी को विकीत भूमि कम की जाकर शेष भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक 1/3 हिस्सा एतद्द्वारा 4.13 बीघा हेतु प्रस्तुत किया गया जिसके जवाब वादपत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया कि वादी का 4.13 बीघा की अपेक्षा 5.00 बीघा भूमि बनती है. प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में 3.19 बीघा भूमि आती है वादी मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 16 से 20 कुल 5.00 बीघा का खाता पृथक करवाना चाहता है. माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर, 2015 को वाद आज्ञाप्त किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2, जो कि वाद में वादी था, को 4.13 बीघा का खातेदार घोषित कर दिया गया. वादी की ओर से उक्त आदेश दिनांक 8 दिसम्बर, 2015 के विरूद्व माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 8/2016 शीर्षक विनोदकुमार बनाम राधेश्याम व अन्य द्वारा चुनौती दी गयी जिसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंमानगर द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2016 द्वारा आशिंक स्वीकार किया जाकर वादी को 4.13 बीघा का खातेदार घोषित किया गया जिससे व्यथित होकर वादी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसमें माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रकरण इस न्यायालय को पक्षकारान की सुनवाई हेतु पुर्नप्रेषित किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादपत्र निरस्त करवा लिया गया. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पूर्व प्रस्तुत वादपत्र निरस्त करवाने के उपरान्त प्रश्नगत कृषि भूमि यथावत प्रतिवादी संख्या 1 के के नाम से बतौर मुखिया हिन्दू संयुक्त परिवार राजस्व अभिलेखों में दर्ज रही. चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य दुर्भिसंधि की हुई थी जिसके अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 2 के अनुचित दबाव में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने नाम पर दर्ज कृषि भूमि, जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है, को अन्यत्र बंधक, विक्रय अथवा अन्य तरीका से अन्तरित करने पर उतारू है. प्रतिवादी संख्या 1 को अपने हक व हिस्सा की 3.19 बीघा से अधिक कृषि भूमि को विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है. प्रतिवादी संख्या 1 के कृत्य को देखते हुऐ प्रतिवादी संख्या 2 को कई बार निवेदन किया कि पैतृक सम्पत्ति में वादी का 1/3 हिस्सा एवं हक प्रमाणित है तथा प्रतिवादी संख्या 2 की धर्मपत्नी को, जो विक्रय किया गया है वह अपनी आवश्यकताओंके लिये किया गया है एवं उक्त विकीत भूमि का समायोजन प्रतिवादी संख्या 1 के हक व हिस्सा की भूमि में करने के उपरान्त वादी को 1/3 हिस्सा अर्थात 5.00 बीघा कृषि भूमि का खातेदार मानकर चक 19 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 16 से 20 कुल 5.00 बीघा का खातेदार मानते हुऐ विभाजन कर राजस्व अभिलेखों में कियान्विती करवा लेवे एवं जब कि उक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में इसकी कियान्विती नहीं हो जाती तब तक वादी के नाम पर कृषि भूमि के इन्द्राज बाद विभाजन अंकन नहीं हो जाता, तब तक किसी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

भी प्रकार से वादी के हक व हिस्सा से अधिक भूमि का विक्रय नहीं करे एवं वादी को हक व हिस्सा की भूमि को सुरक्षित रखे. प्रतिवादीगण पूर्व में ऐसा करने से टालमटोल करते रहे और आज कल करने का बहाना बनाते रहे एवं अन्त में दिनांक 21 अगस्त, 2017 को ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया. यही वादहेतुक प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी को उपलब्ध है. प्रश्नगत कृषि भूमि हिन्दू खानदान की प्रमाणित पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाकर पारिवारिक एवं मौखिक विभाजन के अनुसार वादी अपने नाम का अंकन करवाने, प्रतिवादीगण के वियद्व इस आश्य का स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रश्नगत कृषि भूमि को बंध,विक्रय अथवा किसी अन्यत तरीका से अन्तरित न किया जावे. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त इन्कारी के साथ साथ एलानिया धमकी दी गयी कि वह अपने नाम से दर्ज भूमि का लाभ उठाकर अन्य बंधक, विक्रय अथवा अन्य तरीका से भूमि का अन्तरण कर वादी को उसके विधिक अधिकारों से वंचित कर देगा. यदि प्रतिवादीगण अपने इस नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाता है तो वादी को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी एवं वाद बाहुल्यता बढेगी. वाद के निस्तारण में समय लगना स्वाभाविक है इसलिये वाद के अन्तिम निस्तारण तक वादी अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है. वादपत्र के तथ्यों एवं अभिलेखों से प्रथम दृष्टया वादकरण बाखूबी सिद्व है एवं सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में है. इस प्रकार वादी द्वारा चक 19 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 22 की 3.782 हैक्टर कृषि भूमि में से वादी का 1/3 हक व हिस्सा अर्थात वादी को 5.00 बीघा का खातेदार घोषित करने, भूमि का विधिवत विभाजन करते हुऐ चक 19 जी. जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 22 की 3.782 हैक्टर कृषि भूमि में से पारिवारिक विभाजन के अनुसार मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 16 से 20 कुल 5.00 बीघा विभक्त कर राजस्व अभिलेखों में अंकन कर पृथक खाता कायम कर पृथक लगान कायम करते हुऐ कब्जा में अधिष्ठित करवाने की डिक्री के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व चक 19 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 22 की 3. 782 हैक्टर कृषि भूमि को अपने नाम पर अंकन होने का अनुचित लाभ उठाकर अन्यत्र बंधक, विक्रय अथवा अन्य तरीका से अन्तरित नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072, वादपत्र संख्या 510/2013 शीर्षक राधेश्याम बनाम रामस्वरूप में पारित निर्णय दिनांक 22 मार्च, 2015, वादपत्र संख्या 510/2013 शीर्षक राधेश्याम बनाम रामस्वरूप व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 8 दिसम्बर, 2015, पूर्व वादपत्र 10 जून, 2013, जवाब वादपत्र दिनांक 18 जुलाई, 2013, जवाब वादपत्र दिनांक 24 अप्रेल, 2014 एवं आवेदनपत्र दिनांक 22 मार्च, 2017 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 2 की तलबी हेतु जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 15 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

106/17

72/7

विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 3 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 5 दिसम्बर, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार चक 19 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/48 मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 11 से 25 कुल 3.516 हैक्टर कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति नहीं बल्कि स्वःर्जित सम्पत्ति है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 अकेला मालिक है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने परिवार की उचित आवश्यकताओं के दृष्टिगत दिनांक 27 अप्रेल, 2007 को पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर 2.66 हैक्टर कृषि भूमि का विकय श्रीमती कृष्णादेवी धर्मपत्नी श्री राधेश्याम को किया गया था. उक्त विकय वादी की पूर्व धर्मपत्नी को तलाक देते समय उसको खर्चा दिया गया एवं दूसरे विवाह करने पर भी काफी खर्च किया गया. वादी कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 के पास अपने हक व हिस्सा को प्राप्त करने के लिये नहीं आया व न ही प्रतिवादी संख्या 1 को कहा. चूंकि प्रतिवादी सख्या 1 की कृषि भूमि में वादी का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है. अतिरिक्त कथनों में अंकित किया गया कि चक 19 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/48 मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 11 से 25 कुल 3.782 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 की स्वःर्जित कृषि भूमि है. प्रतिवादी संख्या 1 के पास कोई पैतृक सम्पत्ति नहीं है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी का प्रथम विवाह किया गया कुछ समय बाद ही वादी की पत्नी का वादी के साथ झगड़ा फसाद रहने लग गया जिससे वादी का अपनी पत्नी से तलाक हो गया तथा वादी की पत्नी को काफी राशि का भुगतान करना पड़ा जिससे प्रतिवादी संख्या 1 की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गयी. वादी के दूसरे विवाह पर भी काफी राशि का व्यय किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 को अपने नाम की प्रश्नगत कृषि भूमि में से 0.266 हैक्टर कृषि भूमि का विकय श्रीमती कृष्णादेवी धर्मपत्नी श्री राधेयाम से परिवार की आवश्यकतानुसार पूरा प्रतिफल लेकर विकय किया गया. वादी एवं उसकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमादेवी बहुत झगड़ालु प्रवृति के हैं जिनके द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2016 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ प्रातः करीब 7.00 बजे प्रतिवादी संख्या 1 के घर में घुसकर प्रतिवादी के साथ वादी एवं उसकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमादेवी द्वारा मारपीट कर गम्भीर चोटें कारित की तथा प्रतिवादी संख्या 1 का मोबाईल एवं 10,000.00 रूपये चोरी कर ले गये. उक्त घटना की प्रथम सूचना संख्या 104/2016 अन्तर्गत धारा 452, 323, 382, 341, 384/34 भारतीय दण्ड संहिता पुलिस थाना सदर, श्रीगंगानगर में दर्ज की गयी. जिसके अनुसन्धानोपरान्त न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, श्रीगंगानगर में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 को अभियोजन साक्ष्य हेतु निश्चित है. उक्त घटना के बाद प्रतिवादी संख्या 1 चिकित्सालय में उपचाराधीन था एवं वादी की धर्मपत्नी श्रीमती सीमादेवी ने पुलिस थाना महिला, श्रीगंगानगर में प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व आवेदनपत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया गया है कि रामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जबरदस्ती छेड़छाड कर बलात्कार करने का प्रयास जैसे संगीन आरोप लगाये गये हैं जिसमें

कार्यपालक ... नायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

पुलिस द्वारा अनुसंधानोपरान्त सभी आरोप झूठे पाये गये. प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा अपनी चक 18 जी.जी. गोबिन्दपुरा के 2.00 बीघा कृषि भूमि विक्रय कर अपने पुत्र विनोद (वादी) को चक धीरदान पटवार हल्का शेखसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर में खतौनी संख्या 333/334 खसरा नम्बर 87/1 में 22.10 बीघा बारानी कृषि भूमि विक्रय विलेख द्वारा क्रय कर दी गयी है. इसी प्रकार, दूसरे पुत्र राधेश्याम प्रतिवादी संख्या 2 को चक धीरदार पटवार हल्का शेखसर तहसील लूणकरणसर लिा बकानेर में खतौनी संख्या 279/280 खसरा नम्बर 87/12 में 22.10 बीघा बारानी कृषि भूमि क्रय कर दी गयी है. वादी एवं उसकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमादेवी बहुत ज्यादा निर्दयी स्वभाव के हैं जिनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को बुढापे में मापपीट कर घर से बेघर कर रखा है. वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 मजबूरीवश अपनी रिश्तेदारी में रह कर बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहा है. वादी एवं उसकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमादेवी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपनी कृषि भूमि पर खेती नहीं करने देते. सारी कृषि भूमि आज भी खाली एवं बंजर पड़ी है. न ही किसी को ठेका हिस्सा पर देने देते है तथा बिना वजह झगड़े पर उतारू हो जाते हैं. प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसकी धर्मपत्नी वृद्वावस्था में हैं और अक्सर बीमार रहते हैं तथा कृषि के अतिरिक्त उनकी आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है जो कृषि भूमि पर वादी एवं उसकी धर्मपत्नी श्रीमती सीमादेवी न तो कृषि कार्य करने देते और न ही किसी अन्य को हिस्सा ठेका पर काश्त करने देते हैं. चूंकि प्रश्नगत कृषि भूमि स्वःर्जित कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में किसी अन्य को कोई हक व अधिकार नहीं है. इस प्रकार वादपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया. जवाब वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में प्रथम सूचना प्रतिवेदन संख्या 104 दिनांक 20 मार्च, 2016, अन्तिम प्रतिवेदन संख्या 20160117 दिनांक 5 अप्रेल, 2016, गांव खीरदार की जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 3 राज्यपक्ष की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 16 जनवरी, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि संयुक्त अविभाजित पैतृक सम्पत्ति की बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. इस प्रकार राज्यहित को मध्यनजर रखते हुऐ निर्णय लिये जाने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या चक 19 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 22 कह 3.782 हैक्टर पैतृक कृषि भूमि में वादी 1/3 हिस्सा अर्थात 5.00 बीघा कृषि भूमि की खातेदारी की घोषणा एवं यथा विभाजन करवाने का अधिकारी है? **...वादी**

2. क्या वादी प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व राजस्व अभिलेखों में अपने नाम पर दर्ज होने

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

106/17

A2/9

का अनुचित लाभ उठाकर बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? **...वादी**

3. क्या चक नम्बर 19 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/48 मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 11 से 25 कुल 3.516 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वःर्जित कृषि भूमि है? **...प्रतिवादी–1**

4. क्या प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि में से 0. 266 हैक्टर कृषि भूमि परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय विलेख दिनांक 27 अप्रेल, 2007 द्वारा श्रीमती कृष्णादेवी को विक्रय किया गया था? **....प्रतिवादी–1**

5. अनुतोष?

विवाद्यकों के विनिश्चिय हेतु साक्ष्य वादी के लिये श्री विनोदकुमार द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. जिससे जिरह की गयी. वादी अधिवक्ता द्वारा अन्य साक्ष्य वादी प्रस्तुत नहीं करने के कथन हस्ताक्षरित करने पर आदेश दिनांक 7 मार्च, 2018 द्वार साक्ष्य वादी पूर्ण की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्री रामस्वरूप द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. जिससे जिरह की गयी. आदेश दिनांक 27 अप्रेल, 2018 द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पूर्ण की गयी. अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072(प्रदर्श–1), न्यायालय आदेशिक दिनांक 12 मार्च, 2017(प्रदर्श–2), वाद संख्या 510/2013 में पारित निर्णय दिनांक 8 दिसम्बर, 2015(प्रदर्श–3), डिक्री दिनांक दिनांक 8 दिसम्बर, 2015(प्रदर्श–4), वादपत्र की प्रमाणित प्रति (प्रदर्श–5), श्री रामस्वरूप द्वारा प्रस्तुत जवाब वादपत्र मय शपथपत्र (प्रदर्श–6), वादी की ओर से प्रस्तुत जवाब वादपत्र (प्रदर्श–7), प्रार्थनापत्र श्री राधेश्याम दिनांक 22 मार्च, 2017 (प्रदर्श–8) प्रदर्श करवाये गये.

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से लिखित बहस क्रमशः दिनांक 12 जुलाई, 2018 एवं दिनांक 17 जुलाई, 2018 प्रस्तुत की गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1963 RRD 200 State of Rajasthan vs. Th. Shiv Prakash singh का ससम्मान अवलोकन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – क्या चक 19 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 22 की 3.782 हैक्टर पैतृक कृषि भूमि में वादी 1/3 हिस्सा अर्थात 5.00 बीघा कृषि भूमि की खातेदारी की घोषणा एवं यथा विभाजन करवाने का अधिकारी है? **...वादी**

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
फार्म हैड, श्रीगंगानगर

चक 19 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 22 की 3.782 हैक्टर कृषि भूमि पैतृक अथवा स्वःर्जित कृषि भूमि है, को सिद्व करने का भार वादी पर है किन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने दादा–पड़दादा से चक 19 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 22 की 3.782 हैक्टर कृषि भूमि संयुक्त परिवार की जदृी जायदाद विरासतन प्राप्त हुई थी. तथा बिन्दू संख्या 6 में अंकित किया गया है कि अन्य वाद संख्या 510/2013 शीर्षक राधेश्याम बनाम रामस्वरूप व अन्य में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दी गयी स्वीकृति से यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि प्रश्नगत कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित संयुक्त पैतृक सम्पत्ति है. जिसके विरोध में प्रतिवाद संख्या 1 द्वारा जवाब वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 में अभिवचन किया गया है कि चक 19 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/48 मुरब्बा नम्बर 22 की 3.516 हैक्टर पैतृक कृषि भूमि स्वःर्जित है जो पैतृक सम्पत्ति नहीं है. जिसकी बाबत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किसी भी प्रकार का अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. ऐसी परिस्थिति में, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पूर्व वाद संख्या 510/2013 शीर्षक राधेश्याम बनाम रामस्वरूप व अन्य में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दी गयी स्वीकृति से यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि प्रश्नगत कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित संयुक्त पैतृक सम्पत्ति है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी 4.19 बीघा में से 0.266 हैक्टर कृषि भूमि कृष्णादेवी धर्मपत्नी श्री राधेश्याम वादी के पक्ष में हस्तान्तरित कर दी है जिसका इन्तकाल भी उसके नाम हो चुका है. इस प्रकार यह तथ्य प्रमाणित है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 21(1.00), किला नम्बर 22(0.01) कुल 1.01 बीघा का विक्रय श्रीमती कृष्णादेवी को किया जाकर विक्रीत कृषिभूमि का कब्जा केता को दे दिया गया. इस प्रकार संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी पैतृक सम्पत्ति में से 1.00 बीघा कृषि भूमि का विक्रय परिवार की आवश्यकता के अनुसार किया गया है जिसका संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता को पूरे पूरे अधिकार उपलब्ध हैं. इस प्रकार कुल पैतृक सम्पत्ति में से विक्रयोपरान्त 3.782–0.266=3.516 हैक्टर कृषि भूमि कृषि भूमि में वादी 1/3 हिस्सा एतद्द्वारा 4.13 बीघा कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथपत्र के बिन्दु संख्या 10 में अभिवचन प्रस्तुत किये गये हैं कि उसके द्वारा अपने परिवार की जरूरत के लिये कारपोरेशन बैंक, शाखा नेतेवाला को ऋण के भुगतान के लिये 4.13 बीघा कृषि भूमि को छोड़कर शेष कृषि भूमि का विक्रय कर दिया गया है ऐसी स्थिति में विभाजन का कोई प्रश्न ही विद्यमान नहीं रहा है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 आंशिक रूप से वादी के पक्ष मे विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 – क्या वादी प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व राजस्व अभिलेखों में अपने नाम पर दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(... श्रीगंगानगर)

बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?
...वादी

विवाद्यक संख्या 1 के विनिश्चिय के अनुसार वादी कुल पैतृक सम्पत्ति में से विक्रयोपरान्त 3.782–0.266=3.516 हैक्टर कृषि भूमि कृषि भूमि में वादी 1/3 हिस्सा एतद्द्वारा 4.13 बीघा कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा एवं विभाजन करवाने का अधिकारी होने के कारण मात्र अपने हिस्सा तक की कृषि भूमि की बाबत प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व बंधक, विक्रय अथवा अन्तरित नही करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 वादी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 3 – क्या चक नम्बर 19 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/48 मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 11 से 25 कुल 3.516 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वःर्जित कृषि भूमि है?
...प्रतिवादी–1

चक 19 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 22 की 3.782 हैक्टर कृषि भूमि पैतृक अथवा स्वःर्जित कृषि भूमि है, को सिद्व करने का भार वादी पर है किन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने दादा–पड़दादा से चक 19 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 22 की 3.782 हैक्टर कृषि भूमि संयुक्त परिवार की जदी जायदाद विरासतन प्राप्त हुई थी. तथा बिन्दू संख्या 6 में अंकित किया गया है कि अन्य वाद संख्या 510/2013 शीर्षक राधेश्याम बनाम रामस्वरूप व अन्य में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दी गयी स्वीकृति से यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि प्रश्नगत कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित संयुक्त पैतृक सम्पत्ति है. जिसके विरोध में प्रतिवाद संख्या 1 द्वारा जवाब वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 में अभिवचन किया गया है कि चक 19 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/48 मुरब्बा नम्बर 22 की 3.516 हैक्टर पैतृक कृषि भूमि स्वःर्जित है जो पैतृक सम्पत्ति नहीं है. जिसकी बाबत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किसी भी प्रकार का अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. ऐसी परिस्थिति में, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पूर्व वाद संख्या 510/2013 शीर्षक राधेश्याम बनाम रामस्वरूप व अन्य में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दी गयी स्वीकृति से यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि प्रश्नगत कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित संयुक्त पैतृक सम्पत्ति है. जो किसी भी दृष्टिकोण से प्रतिवादी संख्या 1 की स्वःर्जित सम्पत्ति नहीं है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 4 –क्या प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि में से 0.266 हैक्टर कृषि भूमि परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

106/17

A2
12

विक्रय विलेख दिनांक 27 अप्रेल, 2007 द्वारा श्रीमती कृष्णादेवी को विक्रय किया गया था? ....**प्रतिवादी–1**

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब वादपत्र के बिन्दु संख्या 4 में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने परिवार की जायज आवश्यकताओं को देखते हुऐ दिनांक 27 अप्रेल, 2007 को पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर 0.266 हैक्टर कृषि भूमि का बेचान श्रीमती कृष्णादवी धर्मपत्नी श्री राधेश्याम को कर दिया गया. जिसकी बाबत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में कथन किये गये कि यह बात सही है कि मैंने जो भूमि कृष्णादेवी पत्नी राधेश्याम को बेची थी उसकी प्रतिफल राशि मेरे पास आयी. अजखुद कहा कि मैंने वो पैसा विनोद की शादी पर लगा दिया. कृष्णादेवी को मैंने जमीन 2007 में बेची थी विनोद की शादी 2004 में की थी. जिसमें यद्यपि विरोधाभास है किन्तु यह निशिचित है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा श्रीमती कृष्णादेवी को कृषि भूमि का विक्रय पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर किया गया है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

अतः विवाद्यकों की विवेचना के अनुसार पूर्व वाद संख्या 510/2013 शीर्षक राधेश्याम बनाम रामस्वरूप व अन्य में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दी गयी स्वीकृति से यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित है कि प्रश्नगत कृषि भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित संयुक्त पैतृक सम्पत्ति है. हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित संयुक्त पैतृक सम्पत्ति के कर्ता की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं के लिये 0.266 हैक्टर कृषि भूमि श्रीमती कृष्णादेवी धर्मपत्नी श्री राधेश्याम को पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर विक्रय कर दी गयी. तथा 3.782–0.266= 3.516 हैक्टर कृषि भूमि में वादी 1/3 हिस्सा एतद्द्वारा 4.13 बीघा कृषि भूमि की खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादी को चक 19 जी. जी. तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/48 मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 11 से 25 की कुल 3.782 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से बिकीत 0.266 हैक्टर कम करते हुऐ शेष 3.516 हैक्टर में 1/3 हिस्सा एतद्द्वारा 1.172 हैक्टर अर्थात 4.13 बीघा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है. चूंकि 4.13 बीघा के अतिरिक्त शेष कृषि भूमि का विक्रय किया जा चुका है ऐसी स्थिति में, विभाजन का कोई प्रश्न ही विद्यमान नहीं है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 24 जुलाई, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(श्रीमती रीना छीम्पा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

106/17

A2/13

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छीम्पा, R.A.S.

विनोदकुमार आयु 45 वर्ष आत्मज श्री रामस्वरूप, जाट, चक 18 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.....वादी

बनाम

1. रामस्वरूप आयु 71 वर्ष आत्मज श्री दुल्लाराम, जाट, चक 18 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
2. राधेश्याम आयु 50 वर्ष आत्मज श्री रामस्वरूप, जाट, चक 18 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
3. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर.

.......प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 106/2017
अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा, श्री बलकरणसिंह बराड़ प्रतिवादी संख्या 1एवं पैरोकार राज. प्रतिवादी–3 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादी को चक 19 जी.जी. तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/48 मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 11 से 25 की कुल 3.782 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से बिकीत 0.266 हैक्टर कम करते हुऐ शेष 3.516 हैक्टर में 1/3 हिस्सा एतद्द्वारा 1.172 हैक्टर अर्थात 4.13 बीघा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है.

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज... शून्य.......दर वार्षिक ...शून्य........आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर